कार्यालय पुलिस अधीक्षक आजमगढ़

संख्या:-83/प्रेसनोट/2017
दिनांक-मार्च, 31, 2017

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक–22.03.2017 को वादी श्री बाबू राम विश्वकर्मा पुत्र वासुदेव, निवासी–गुवाई, थाना–दीदारगंज, आजमगढ़ की लडकी के साथ हुयी छेडखानी की घटना के सम्बन्ध में दिनांक–25.03.2017 को वादी द्वारा तहरीर दिये जाने के बाद उचित कार्यवाही हेतु अनावश्यक रूप से टालमटोल करने एवं अभियोग पंजीकृत न किये जाने व नियमानुसार समय से त्वरित कार्यवाही न किये जाने तथा प्रकरण में अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के आरोप में उपनिरीक्षक ना0पु0 तारकेश्वर राय व आरक्षी मुहर्रिर त्रिभुवन सिंह थाना–दीदारगंज, आजमगढ़ को दिनांक–29.03.2017 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री आनन्द कुलकर्णी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय जांच के आदेश दिये गये।

यूपी 100

जमीन कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद पर यूपी 100 ने पकडकर पहुचाया थानेः–

पीआरवी 1017, थाना–रानी की सरायको समय– 05:42 बजे सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम–मोतीगंज बाजार में दो पक्ष जमीन पर कब्जा करने को लेकर विवाद कर रहे है जिससे मौके पर शांति भंग की प्रबल आशंका है। इस सूचना पर यूपी 100 कर्मियों ने मौके पर पहुचकर विवाद कर रहे व्यक्तियों को पकडकर विधिक कार्यवाही हेतु थानास्थानीय को सुपुर्द किया गया।

महिला के साथ मारपीट करने वाले व्यक्ति को यूपी 100 ने पकडकर पहुचाया थानेः–

पीआरवी 1030, थाना–देवगांव को समय–06:59 बजे सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम–लहुआ कला में एक महिला को उसके घर में घुसकर एक व्यक्ति मारपीट कर रहा है। इस सूचना पर यूपी 100 द्वारा मौके पर पहुचकर महिला से मारपीट करने वाले को पकडकर विधिक कार्यवाही हेतु थानास्थानीय को सुपुर्द किया गया।